# मध्यप्रदेश भू-अभिलेख प्रबंधन समिति, भोपाल द्वारा डाटा एन्ट्री ऑपरेटर पद पर संविदा नियुक्ति भर्ती नियम पुस्तिका।

# कार्यालय म.प्र. भू-अभिलेख प्रबंधन समिति भोपाल.

शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भूतल अरेरा हिल्स, भोपाल- 462011 Email mp-lrs@mp.gov.in

क्रमांक- 2050 /भू.अ.प्र.स./2026 भोपाल, दिनांक- 02/03/2026

मध्यप्रदेश भू-अभिलेख प्रबंधन समिति, भोपाल IT कैडर के अंतर्गत संविदा डाटा एन्ट्री आपरेटर रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु आवेदन आमंत्रित करता है। यह अनुबंध प्रथमत: एक वर्ष का होगा, जिसे सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक सी-5-1/2017/एक/3 भोपाल दिनांक 06 अक्टूबर, 2017 अनुसार नवीनीकृत किया जा सकेगा।

1. पद विवरण

| क्र | पदनाम | रिक्त पद | मासिक मानदेय | शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव | आयु सीमा |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | संविदा डाटा एन्ट्री आपरेटर | 770 | 5200-20200-1900 | • मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12TH (हायर सेकेन्ड्री) उत्तीर्ण<br>• CPCT उत्तीर्ण प्रमाणपत्र। | • 18–40 वर्ष (आयु सीमा की गणना 01/01/2026 के अनुसार की जायगी) ।<br>• SC/ST/OBC/महिला (आरक्षित/अनारक्षित)/दिव्यांगजन के लिए अधिकतम आयुसीमा में शासकीय नियम अनुसार 5 वर्ष की छूट।<br>• आयु की गणना हेतु वही जन्मतिथि मान्य होगी जो अभ्यर्थी की 10वी की अंकसूची में अंकित है। |

केवल मध्यप्रदेश के मूल निवासी जो इन पदों हेतु निर्धारित अर्हताएँ रखते हों, आवेदन कर सकेगें।

2. आरक्षणवार पदों का विवरण

| डाटा एन्ट्री ऑपरेटर | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| रिक्त पदों की संख्या | | | | | | रिक्तियों में से मध्यप्रदेश की मूल निवासी महिला अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित पदों की संख्या | | | | | मध्यप्रदेश के मूलनिवासी दिव्यांगजन हेतु आरक्षित पदों की संख्या | | | |
| UR | SC | ST | OBC | EWS | TOTAL | UR | SC | ST | OBC | EWS | LD | VH | HH | MD |
| 209 | 123 | 154 | 208 | 76 | 770 | 73 | 43 | 54 | 73 | 27 | 12 | 11 | 12 | 11 |
| अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण के संबंध में प्रचलित याचिका के अनुक्रम में सामान्य प्रशासन विभाग मध्यप्रदेश शासन के पत्र क्रमांक एफ-07-46/2021/आ.प्र./एक दिनांक 29/09/2022 द्वारा चयम परीणाम मुख्य भाग 87 % तथा प्रावधिक भाग 13 % के आधार पर जारी किया जाना है। इन पदों हेतु | | | | | | | | | | | | | | |

| मुख्य भाग 87 % तथा प्रावधिक भाग 13 % का पदविभाजन निम्नानुसार रहेगा। | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| मुख्य भाग (87%) | | | | | | | | | | | | | | |
| 209 | 123 | 154 | 108 | 76 | 670 | 73 | 43 | 54 | 38 | 27 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| प्रावधिक भाग (13%) | | | | | | | | | | | | | | |
| 100* | - | - | 100 | - | 100 | 35* | - | - | 35 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
| *काल्पनिक | | | | | | | | | | | | | | |

### 3. आवेदन प्रक्रिया

- आवेदन एम.पी. ऑनलाइन पोर्टल **http://www.mponline.gov.in** के माध्यम से किया जा सकेगा।
- विज्ञापन विवरण:-

| | |
|---|---|
| विज्ञापन तिथि | |
| ऑनलाईन आवेदन की प्रारंभ तिथि | 05/03/2026 |
| ऑनलाईन आवेदन की अतिंम तिथि | 03/04/2026 |
| ऑनलाईन आवेदन में त्रुटि सुधार की प्रारंभ तिथि | 12/03/2026 |
| ऑनलाईन आवेदन में त्रुटि सुधार की अतिंम तिथि | 04/04/2026 |

- ऑफलाइन एवं अपूर्ण आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

- **आवश्यक दस्तावेज:-**

  ❖ आवेदन के समय अभ्यर्थियों को निम्नलिखित स्व प्रमाणित दस्तावेजों को अपलोड कराना होगा।

  - हाई स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा की अंकसूची।
  - 10+2 शिक्षा प्रणाली से 12 परीक्षा की अंकसूची।
  - सी.पी.सी.टी का उत्तीर्ण स्कोर कार्ड। (सामान्य प्रशासन विभाग का पत्र क्रमांक सी 315/2014/1/3 भोपाल दिनांक 17/09/2021 तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग का पत्र क्रमांक एफ 14-7/2016/41-2 भोपाल दिनांक 23/03/2021 द्वारा वैधता अवधि प्रमाणपत्र जारी होने की दिनांक से 07 वर्ष तक रहेगी)
  - मध्यप्रदेश का मूलनिवास प्रमाण पत्र।
  - सक्षम अधिकारी द्वारा जारी वैध जाति प्रमाण पत्र। (जिस पद पर आरक्षण लागू)
  - सामान्य प्रशासन विभाग का परिपत्र क्रमांक एफ-07-11/2019/आप्र/1, दिनांक 29 जून 2021 के आर्थिक रूप से कमजोर (EWS) के प्रमाण पत्र के संदर्भ में परिपत्र की कंडिका 8.6 का पालन किया जाना है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) का सक्षम स्तर से जारी प्रमाण पत्र आवश्यक होगा। आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र जारी होने के दिनांक से उस वित्तीय वर्ष के अंत (31 मार्च) तक वैध रहेगा।

- सक्षम अधिकारी द्वारा जारी दिव्यांगता प्रमाणपत्र।

4. **नियुक्ति प्रक्रिया -**
   - ❖ आवेदकों की मेरिट सूची सी.पी.सी.टी के स्कोर कार्ड में प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार की जाएगी।
   - ❖ सी.पी.सी.टी के स्कोर कार्ड से अंको की गणना निम्नानुसार की जाएगी:-
     - सी.पी.सी.टी के स्कोर कार्ड में दो सेक्शन होते है; प्रथम सेक्शन कम्प्यूटर प्रोफिशिएंसी एवं दूसरा सेक्शन नेट टाईपिंग (हिन्दी एवं अंग्रेजी) स्पीड होता है। नेट टाईपिंग स्पीड के लिए हिन्दी टाईपिंग में डाटा एन्ट्री ऑपरेटर के लिए क्वालिफाईड होना आवश्यक होगा। हिन्दी टाईपिंग स्पीड में क्वालिफाईड होने की स्थिति में मेरिट का निर्धारण कम्प्यूटर प्रोफिशिएंसी में प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाएगा। लेकिन मेरिट के निर्धारण में केवल उन्ही अभ्यार्थियों को शामिल किया जाएगा, जिन्होने हिन्दी टाईपिंग में क्वालिफाईड किया हो।
     - यदि दो या अधिक आवेदकों के कम्प्यूटर प्रोफिशिएंसी में समान अंक होगें तो हिन्दी टाईपिंग के अंकों के आधार पर मेरिट का निर्धारण होगा।
     - हिन्दी टाईपिंग में समान अंक होने पर अंग्रेजी टाईपिंग के अंको के आधार पर मेरिट का निर्धारण किया जाएगा।
     - मेरिट में दो आवेदकों को कम्प्यूटर प्रोफिशिएंसी हिन्दी एवं अंग्रेजी नेट टाईपिंग सभी में समान अंक होने पर अधिक आयु वाले आवेदक को प्राथमिकता होगी।
   - ❖ उम्मीदवारों को नियमों एवं चयन मापदण्डों का अवलोकन करना चाहिए और पद के लिए आवेदन करने से पहले पात्रता सुनिश्चित करनी चाहिए।
   - ❖ उम्मीदवार चयन प्रक्रिया के दौरान अयोग्य पाया जाता है और किसी भी समय उम्मीदवार द्वारा प्रदान किया गया विवरण गलत पाया जाता है तो इस स्थिति में उम्मीदवार की उम्मीदवारी किसी भी बिन्दु पर अयोग्य घोषित की जा सकेगी।
   - ❖ अभ्यर्थियों की **प्रतीक्षा सूची** तैयार की जाएगी। जिसकी वैधता परिणाम घोषित होने से 18 माह तक वैध होगी।
   - ❖ उम्मीदवार के उर्त्तीण होने के उपरांत पदों की पूर्ति हेतु च्वाईस फिलिंग की कार्यवाही पृथक से की जाएगी।

5. **संविदा नियुक्ति शर्ते –**
   - संविदा नियुक्ति की शर्ते म.प्र.शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देश क्रमांक सी5-1/2017/एफ/3 भोपाल दिनांक 06/10/2017 एवं निर्देश क्रमांक सी5-2/2018/1/3 भोपाल दिनांक 22/07/2023 अनुसार होगें।
   - संविदा नियुक्ति के दौरान दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर या वेतन देकर संविदा नियुक्ति समाप्त की सकेगी।
   - संविदा नियुक्ति के दौरान शासकीय आवास ग्रहण की पात्रता नहीं होगी।
   - यात्रा भत्ते की पात्रता उसी प्रकार होगी जैसे समकक्ष पद के किसी कर्मचारी की होती है।
   - नियुक्ति के पश्चात जिले के मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी का मूल चिकित्सा प्रमाण-पत्र कार्य पर उपस्थित होने के पश्चात 07 दिन की अवधि में संबंधित जिले के सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।

- संविदा पर नियुक्त कर्मचारी बिना सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति/निर्देश के कोई भी सूचना/जानकारी किसी अन्य व्यक्ति अथवा अन्य किसी विभाग को किसी भी माध्यम से नहीं देगा तथा कार्यालयीन गोपनीयता भंग नहीं करेगा।
- कार्यालय में संविदा अवधि के दौरान अन्य किसी प्रकार के संस्थान/कार्यालय में कार्य करने पर अथवा व्यक्ति विशेष से किसी भी प्रकार के व्यापार/व्यवसाय करने पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा।
- संविदा पर नियुक्त कर्मचारी को समय-समय पर सौंपे गए समस्त कार्यालयीन कार्य भी संपादित करने होंगे।
- नियुक्ति आदेश में दर्शाई गई अवधि तक कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा अन्यथा नियुक्ति आदेश निरस्त माना जाएगा।
- चयनित अभ्यर्थी उसकी पदस्थापना के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से संविदा में माना जाएगा। यदि संविदा पर नियुक्त कोई व्यक्ति बिना किसी विशेष कारण के और बिना किसी सूचना के अपने कर्तव्य से 01 माह से अधिक अनुपस्थित रहता है तो उसकी संविदा नियुक्ति ऐसी अनुपस्थिति की तिथि से स्वतः समाप्त मानी जाएगी।
- संविदा पर नियुक्त कर्मचारी पर मध्यप्रदेश सिविल सेवा नियम लागू होंगे।
- संविदा पर नियुक्त कर्मचारी को कदाचार या किसी आपराधिक क्रिया-कलाप में संलग्न होने पर नियुक्ति प्राधिकारी ऐसी संविदा नियुक्ति समाप्त कर सकेगा।
- संविदा नियुक्ति 01 वर्ष के लिए की जाएगी। प्रत्येक वर्ष कार्य का मूल्यांकन किया जाएगा। आवश्यकता एवं उपयुक्तता होने पर अवधि बढाई जा सकेगी।
- संविदा पदों पर भर्ती राजस्व न्यायालयवार की जा रही है, अतः यह पद पूर्णतः अस्थानांतरणीय रहेगा।
- दिव्यांगजन का आरक्षण क्षैतिज (Horizontal) आधार पर कुल रिक्तियों का 6% होगा।
- महिला का आरक्षण क्षैतिज (Horizontal) आधार पर सभी श्रेणियों का 35% होगा।
- अपूर्ण या निर्धारित प्रारूप में न किए गए आवेदन स्वतः निरस्त माने जाएंगे।
- अंतिम तिथि के बाद प्राप्त आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

(अनुभा श्रीवास्तव) 2/3/26
आयुक्त,
भू-संसाधन प्रबंधन,
मध्यप्रदेश।